संख्या-107/2023/2022/30-3-2023

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनाँक 14 अगस्त, 2023

विषय- परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन के भूतल की विद्युत लाईनों की मरम्मत एवं उच्चीकरण का कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू0 12.31 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-372नजा0/2023-04नजारत/2021, दिनांक 12 जुलाई, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 23.04.2021 द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 के भवन के बाहरी सतह पर नवीनीकरण एवं उच्चीकरण के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 146.09 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के क्रम में कार्यदायी संस्था- यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (यू0पी0 सिडको) द्वारा उक्त कार्य दिनांक 22.04.2022 को पूर्ण करा लिया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित इवेन्ट्री में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 12.32 लाख की बचत दर्शायी गयी है। परिवहन आयुक्त कार्यालय के भूतल की विद्युत लाईनों की मरम्मत एवं उच्चीकरण का कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त बचत के सापेक्ष रू0 12.31 लाख का आगणन/परीक्षित लागत की धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उपलब्ध बचत रू0 12.32 लाख के सापेक्ष परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन के भूतल की विद्युत लाईनों की मरम्मत एवं उच्चीकरण का कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू0 12.31 लाख (रू0 बारह लाख इकतीस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य की विशिष्टयां मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-107/2023/2022(1)/30-3-2023, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- कार्यदायी संस्था-यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।